भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 50

सोमवार, 29 नवंबर, 2021 / 8 अग्रहायण, 1943 (शक)

ईएसआईसी में चीनी उद्योग

50. श्री बी वाई राघवेंद्र;
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले;
श्री प्रताप सिम्हा;
श्री तेजस्वी सूर्या;
श्री कराड़ी सनगन्ना अमरप्पा;
डॉ उमेश जी. जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की श्रम कानूनों का श्रम संहिता में सुधार करने के उपरांत चीनी उद्योग को ईएसआईसी में शामिल करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के समान लाभ दिए जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के रास्ते क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार की ऐसी सुविधाएं प्रदान करने की योजना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 ऐसे सभी ईएसआई अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित कारखानों (मौसमी कारखानों को छोड़कर) पर लागू होता है जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। वैसे कर्मचारी जो ऐसे ईएसआई में शामिल कारखानों/प्रतिष्ठानों में प्रति माह 21,000 रुपए तक की मजदूरी अर्जित करते रहे हैं, ईएसआई अधिनियम के तहत शामिल हो सकते हैं। चीनी का उत्पादन (जिसमें गुड़ शामिल है) अथवा कोई भी उत्पादन प्रक्रिया जो चीनी के उत्पादन के लिए आनुषंगिक है अथवा उससे जुड़ा हुआ है वह ईएसआई अधिनियम की धारा 2 (19 क) के तहत उपबंधों के अनुसार मौसमी कारखानों में शामिल किया जाता है। अतः यह ईएसआई के कवरेज से बाहर है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में इसी प्रकार के उपबंध रखे गए हैं।

(ग) से (ङ): कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों (आईपी) के लिए उपलब्ध लाभ ईएसआई अधिनियम, 1948 में निहित उपबंधों के अनुसार हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में, संहिता के अध्याय IV में इसी प्रकार के उपबंध निहित हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए लाभों का उपबंध संहिता की धारा 45 तथा धारा 109 में शामिल है जिसके तहत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें असंगठित कामगारों के लिए योजनाएं बना सकती हैं। अभी तक यह संहिता लागू नहीं हुई है।

*****